प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **20/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add: 66-K, Singhvi house, first floor, inside saheliyon ki bari, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329696643456944 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3799405940 दिनांक 03.02.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/20/25/139–40 दिनांक 31.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार गिर्वा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा ने जरिये पत्रांकः भू.अ./सू.अ. अ./2005/प्र.अ.स.20/25/233 दिनांक 05.03.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रकरण से संबंधित वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 232 दिनांक 05.03.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस कार्यालय से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना शेष नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 232 दिनांक 05.03.2025 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है परन्तु अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। फिर भी यदि अपीलार्थी को पत्रावली पर उपलब्ध कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये है तो नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवायी जाये।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराया जाना शेष है तो नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाये एवं की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर